

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 349/2009/कोटा

मैसर्स जे.के. सीमेन्ट लि., कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, कोटा
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या - 553/2009/कोटा

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय,
वाणिज्यिक कर, कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जे.के. सीमेन्ट लि., कोटा

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.एल. पाटोदी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से

श्री अनिल पोखरना,
उप राजकीय अभिभाषक

.....राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 06/08/2018

निर्णय

1. अपील संख्या 349/2009/कोटा अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे 'व्यवहारी' कहा जायेगा) द्वारा तथा अपील संख्या 553/2009/कोटा सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय, वाणिज्यिक कर, कोटा द्वारा पेश की गई हैं। उक्त अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 7/ई.टी./2008-09/माल प्रवेश कर, में पारित किये गये आदेश दिनांक 23.01.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश में वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी के विरुद्ध Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 12(4) के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.09.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

निरन्तर.....2





2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2004-05 हेतु व्यवहारी का प्रवेश कर अधिनियम की धारा 12(4) के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.09.2008 को पारित करते हुए राज्य के बाहर से प्रवेश कर योग्य अधिसूचित वस्तुओं HSD, Lubricants, Furnace Oil, LDO, Pet Coke, HDPE Bags, Paper आदि माल राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में आयात किये जाने पर प्रवेश कर की देयता मानते हुए कर रूपये 2,52,06,017/- तथा ब्याज रूपये 73,069/- व विवरण पत्र ETLA-3 व ETLA-5 विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये शास्ति रूपये 500/- का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने यद्यपि करारोपण की पुष्टि की है परन्तु व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये MODVAT को कर योग्य माल की कीमत में से कम करते हुए शेष राशि पर प्रवेश कर की गणना करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है तथा साथ ही आरोपित शास्ति व ब्याज की पुष्टि की गई है। राजस्व द्वारा उक्त प्रतिप्रेषण सम्बन्धी आदेश को चुनौती देते हुए अपील संख्या 553/2009 पेश की गई है तथा व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में आरोपित प्रवेश कर, ब्याज तथा शास्ति की पुष्टि किये जाने को विवादित करते हुए अपील संख्या 349/2009 पेश की गई है।
3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपील आधारों में यद्यपि उन्होंने प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिकता को विवादित किया था परन्तु कालान्तर में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी संवैधानिकता की पुष्टि कर दिये जाने के कारण इस बिन्दु पर बल नहीं देना चाहते हैं परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई ब्याज एवं शास्ति को अपास्त करने की प्रार्थना की। आगे उनका यह भी कथन है कि कर योग्य माल के क्रय मूल्य में व्यवहारी द्वारा चुकाई गई Excise Duty जिसका कि उसे MODVAT के रूप में समायोजन प्राप्त है तथा अन्य खर्च यथा ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस इत्यादि को कम किये जाने के पश्चात् ही प्रवेश कर निर्धारण किये जाने सम्बन्धी अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित है अतः इस बिन्दु पर राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।
4. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि प्रवेश कर की संवैधानिकता की पुष्टि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स जिन्दल स्टेनलैस स्टील लि० एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांक 11.11.2016 में की जा चुकी है, अतः इस बिन्दु पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है। MODVAT Credit के बिन्दु पर उनका कथन है

31

निरन्तर.....3

- कि "Taxable Purchase Value of Goods" की परिभाषा अधिनियम में दी गई है जिसमें सभी प्रकार के कर, शुल्क एवं अन्य खर्च शामिल हैं, अतः इस बिन्दु पर भी व्यवहारी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया। उनका यह भी कथन है कि चूंकि व्यवहारी द्वारा देय कर का समय पर भुगतान नहीं किया गया है अतः ब्याज का आरोपण उचित है तथा मासिक एवं वार्षिक विवरण पत्र ETLA-3/ETLA-5 विलम्ब से पेश किये जाने के कारण आरोपित शास्ति पूर्ण रूपेण उचित है, अतः इस बिन्दु पर भी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।
5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
6. प्रस्तुत अपील में मुख्य विवाद का बिन्दु प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिकता के सम्बन्ध में है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जिन्दल स्टेनलैस स्टील लि० एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य AIR 2016 SC 5617:(2017) 12 SCC 1 के प्रकरण में दिये गये निर्णय में उक्त अधिनियम की संवैधानिकता की पुष्टि कर दी गई है एवं व्यवहारी की ओर से भी अब इस बिन्दु पर बल नहीं दिया गया है अतः इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अन्य विवादित बिन्दु यह है कि राज्य के स्थानीय क्षेत्र में लाये जाने वाले माल पर चुकाई गई Excise Duty का जो MODVAT Credit विनिर्माण के स्तर पर Set off के रूप में उपलब्ध होता है क्या इसे प्रवेश कर प्रयोजनार्थ 'माल के कर योग्य क्रय मूल्य' का भाग माना जायेगा अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत 'माल का कर योग्य क्रय मूल्य' वह सम्पूर्ण राशि है जो माल के राज्य के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय तक भुगतान/वहन की गयी है। प्रवेश कर अधिनियम में दी गयी परिभाषाओं के अन्तर्गत कर योग्य खरीद मूल्य की परिभाषा निम्न प्रकार है :-

"2(r) "taxable purchase value of the goods" shall mean the purchase price at which a dealer has purchased the goods inclusive of charges borne by him as cost of transportation, packing, forwarding and handling commission, insurance, taxes, duties and the like, or if such goods have not been purchased by him, the prevailing market price of such goods in the local area;"

8. उल्लेखनीय है कि The Rajasthan Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 1999 तथा The Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979 के अन्तर्गत 'Taxable Purchase Value of the Goods' की परिभाषाएं एक समान हैं। कर्नाटक प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत तथा MODVAT की राशि माल के कर योग्य क्रय



निरन्तर.....4

मूल्य का हिस्सा होगी अथवा नहीं, का यह बिन्दु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Karnataka v. Hansa Corporation (1981) AIR 463 : 1983 SCR (1) 823** तथा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **Motor Industries Company Limited V/s State of Karnataka (in short 'MICO's case' - C.R.P. No. 1550-1552/1996)** तथा **BPL Limited vs State of Karnataka And Anr. (2008) 11 VST 835 (Karn)** के प्रकरणों में दिये गये निर्णयों में विस्तृत रूप से निर्णीत किया जा चुका है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **State of Karnataka v. Hansa Corporation (supra)** के प्रकरण में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि प्रवेश कर राज्य के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के समय उसकी कीमत पर देय है। इस निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं:-

"...The taxing event is the entry of scheduled goods into a local area. The tax becomes payable on the entry of scheduled goods in a local area. Therefore, the price of the scheduled goods at the time of entry paid by the dealer who is the importer of goods within the scheduled area would be the ad valorem price on the basis of which tax would be computed. No subsequent rise or fall in price has any relevance to the computation of the tax."

10. इस सम्बन्ध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **BPL Limited vs State of Karnataka And Anr. (2008) 11 VST 835 (Karn)** के प्रकरण में कर्नाटक प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत माल के कर योग्य क्रय मूल्य (Taxable Purchase Value of the Goods) की परिभाषा, जो कि राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम के समान ही है, की व्याख्या करते हुए इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि MODVAT प्रवेश कर के प्रयोजनार्थ माल की खरीद के लिये चुकाये गये मूल्य में से कमी के रूप में क्रियाशील नहीं है तथा यह केवल Excise Duty के भुगतान हेतु set off के रूप में कार्य करता है। इस निर्णय के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

"14. For the purpose of entry tax, what is relevant is the value of goods when the goods enter the local area. The fact subsequent to such entry, the assessee received the goods in his factory and took MODVAT credit for the Excise duty paid on such goods, will not have the effect of reducing the value of the goods on entry into the local area."

3/



निरन्तर.....5

"17. MODVAT credit does not operate as a "reduction" or "discount" in the purchase price paid to the supplier. MODVAT is only a procedure whereby the manufacturer utilises the credit for specific excise duty on inputs against duty payable on the final product. MODVAT credit taken on inputs is in the nature of set-off available against the payment of excise duty on the final product. Therefore, the decisions relating to "cost" for purposes of excise duty, have no relevance for determining the "value of goods" under Section 2(A)(8a) of the KTEG Act for purposes of entry tax. We therefore hold that for determining the value of goods for levy of entry tax, MODVAT credit availed by assessee on such goods cannot be deducted. The assessing officer was justified in rejecting the request for deducting Rs. 57,65,64,884 in determining the taxable turnover."

11. प्रत्यर्थी की ओर से अपने पक्ष में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Collector of Central Excise, Pune v. Dai Ichi Karkaria Ltd. [1999] 7 SCC 448** का जो निर्णय उल्लिखित किया गया है वह सेन्ट्रल एक्साइज के तहत मूल्य के निर्धारण से सम्बन्धित है, जिसे प्रवेश कर के निर्धारण हेतु लागू नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय को उल्लिखित करते हुए माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा **MICO** के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 29.09.1999 में यह स्पष्ट रूप से निर्णीत किया है कि उक्त निर्णय पिटीशनर को प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत माल के मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई सहायता नहीं करता है। इस निर्णय (MICO's Case) के मुख्य अंश निम्न प्रकार हैं :-

"So far as the assessee is concerned, he has paid Rs. 100 to the seller as value of the goods. The subsequent benefit by way of MODVAT it would not be claimed at the time of entry of goods into the local area. The act of claiming the MODVAT is after the goods enter in the factory premises and not at the stage when the entry is in the local area. In these circumstances for the purpose of entry tax, the purchase value of goods is as specified in the bill including all other charges as mentioned in Clause (8a) of Section 2 thereof included. Therefore the above decision in Dai Ichi [1999] 7 SCC 448 cannot give any benefit to the assessee."

12. उक्त विवेचित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णीत किया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत चुकाई गई Excise Duty व उसके सम्बन्ध में निर्माता को set off के रूप में प्राप्त होने वाले MODVAT/CENVAT को प्रवेश कर







निरन्तर.....6

अधिनियम के अन्तर्गत 'Taxable Purchase Value of the Goods' के निर्धारण में कम नहीं किया जा सकता है तथा स्थानीय क्षेत्र में व्यवसायी के स्थल तक वहनित किये गये समस्त खर्चे एवं कर आदि 'माल का कर योग्य क्रय मूल्य' का हिस्सा होंगे तथा इसी क्रय मूल्य पर नियमानुसार प्रवेश कर का आरोपण किया जायेगा। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा MODVAT की राशि को कम करते हुए प्रवेश कर की गणना हेतु निर्देश देते हुए जो प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है वह आदेश विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

13. उक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा MODVAT के बिन्दु पर किया गया अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी की गणना को पुनर्स्थापित करते हुए आरोपित कर की पुष्टि की जाकर राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।
14. जहां तक व्यवहारी द्वारा विवरण पत्र ETLA-5 विलम्ब से पेश करने के कारण आरोपित शास्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में धारा 35(1)(a)/(f) के प्रावधानानुसार उक्त आरोपण विधिसम्मत पाया जाता है, अतः इस सम्बन्ध में उक्त शास्ति की पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है अतः इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। एक अन्य बिन्दु जो कि देय प्रवेश कर जमा नहीं होने की स्थिति में आरोपित किये जाने वाले ब्याज से सम्बन्धित है, के बारे में उल्लेखनीय है कि ब्याज आरोपण सम्बन्धी विशिष्ट प्रावधान का अधिनियम में धारा 34A के रूप में दिनांक 09.08.2004 से ही समावेश किया गया है, अतः इस बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए ब्याज की गणना दिनांक 09.08.2004 से करने के निर्देश दिये जाते हैं तथा साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण का निस्तारण इस आदेश की तिथि से 3 माह के भीतर करना सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 10.09.2018 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होवे।
15. फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 349/2009 ब्याज के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर अस्वीकार की जाती है तथा ब्याज पुनर्गणनार्थ प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुए अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
16. राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 553/2009 स्वीकार की जाती है।
17. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य